73

12

विलोपित

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क्र0 .... ~~निग / II / टीकमगढ़ / भू–राजस्व / 2018~~ / ....

निगरानी– 5340/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

1. मोहन, बारेलाल पुत्रगण सूके काछी (फोत) द्वारा वारिसान
अ– महिला हरबाई पत्नि स्व. मोहन काछी
ब– शिवचरन, अनंदी, रवि पुत्रगण स्व. बारेलाल काछी,
निवासीयान मामौन दरवाजा टीकमगढ़ (म.प्र.)

श्री .... द्वारा आज दि. 29-8-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7-9-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र./ग्वालियर

2. गोविन्द सिंह सिसौदिया आत्मज श्री शिवराज सिंह सिसौदिया, निवासी ग्राम मातौल, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) हाल निवासीः मामौन दरवाजा टीकमगढ़ (म.प्र.)

—— निगराकारगण / आवेदकगण

बनाम

1. भागीरथ तिवारी तनय स्व. प्रभुदयाल तिवारी
2. श्रीमती रामदेवी पत्नी भागीरथ तिवारी
3. हरिहर तिवारी तनय भागीरथ तिवारी
सभी निवासीयानः ग्राम गहरवार, थाना ईसानगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)
हाल निवासीः जानकीबाग तिराहा / अम्बेडकर तिराहा, टीकमगढ़, तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

—— प्रतिनिगराकारगण / अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 29.05.2018 जिन्होंने प्रकरण क्रमांक 181 / बी–121 / 12–13 में अनुविभागीय अधिकारी के जॉच प्रकरण क्रमांक 260 / ब–121 / 2017–18 में अवैध व अनियमित ढंग से जाँच प्रकरण में समुचित आदेश पारित न करते हुए उक्त जाँच प्रकरण की सुनवाई स्थगित कर दी गई ।

महोदय,

निगरानी के प्रमुख आधार सादर निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :–

(1) यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के समक्ष दिनांक 30.07.2013 को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि उक्त भागीरथ तिवारी न तो कभी चित्तर

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-5340/2018/टीकमगढ़/भू.रा. मोहन विरूद्ध भागीरथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक मोहन की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 181/बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 29-05-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 29-08-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-	

31.X.18

राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरू पइस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 26-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31.x.18

सदस्य